

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर अवकाश हुक्म में जा</p>
<p>13<sup>8</sup>/<sub>19</sub></p>	<p>अधिवक्तागण उपस्थित। TI की अवधि आगामी पेशी तक बढ़ायी जाती है। बहस हेतु समय भाहा पत्रावली वास्तु बहस दिनांक 20/8/19 को पेश हो</p>	
<p>20<sup>8</sup>/<sub>19</sub></p>	<p>अधिवक्तागण उपस्थित। प्रकरण का मूलवाद अप्राची सं. 4 द्वारा पेश प्राप्त पत्र आदेश न नियम 11CPC के स्वीकार हो जाने पर खारिज किया जा चुका है अब इस पत्रावली में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। प्रकरण इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है पत्रावली में दिनांक 01/11/2012 को जारी अस्थायी निवेदात्ता गिरस्त की जाती है। पत्रावली निगति होकर नम्बर से कम हो</p>	



उपखण्ड अधिकारी (राजस्थान)  
श्री करणपुर (श्री मंगलपुर)